राजेश चौधरी बनाम राजस्थान सरकार

र्थना पत्र संख्याः 243/2024

नांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
.08.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि ग्राम मोहनपुरा पटवार मण्डल जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर के आराजी खसरा नम्बर 43, 30/584 को नक्शे में तरमीम गलत कर दी गई है। गत नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं वर्तमान ऑनलाईन नक्शे की फोटो प्रति संलग्न क श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त दोनो खसरा नम्बर की शुद्धि करवाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में सुना गया। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौराया एवं अंत में निवेदन किया कि ग्राम मोहनपुरा पटवार मण्डल जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर के आराजी खसरा नम्बर 43, 30/584 को नक्शे में तरमीम गलत कर दी गई है। गत नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं वर्तमान ऑनलाईन नक्शे की फोटो प्रति संलग्न क श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त दोनो खसरा नम्बर की शुद्धि करवाने की कृपा करे। बहस प्रार्थी एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी की वाके ग्राम मोहनपुरा पटवार मण्डल जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर के आराजी खसरा नम्बर 43, 30/584 की तरमीम संशोधन यदि कोई अन्य आदेश से नही हुआ तो सेग्रिकेशन से पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08.08.2024 को सुनाया गया। (हिम्मत सिंह) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 16:11:45 IST
Reason: SelfAttested